

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

“विज्ञप्ति”

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2015 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1953 दिनांक-18.10.2014 के उपबंधों के अधीन शैक्षणिक संस्थान के सुदृढीकरण/संरचना विकास तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों एवं स्थायी प्रस्वीकृत इण्टर महाविद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से **वित्तीय वर्ष 2019-20** के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह आवेदन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वेबसाइट education.jharkhand.gov.in के द्वारा किया जायेगा। संबंधित संस्थान वेबसाइट में पहले Online Service में Click कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नीचे अंकित सेवाओं के तहत अपने संस्था को निबंधित करेंगे। निबंधन (Registration) होने के पश्चात् रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर में एस0एम0एस0 के माध्यम से Login ID & Password प्राप्त होगा। प्राप्त Login ID & Password द्वारा वेबसाइट के बायीं ओर Login Section में प्रविष्ट करने पर अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र खुलेगा। उस आवेदन प्रपत्र में सभी वांछित सूचनायें प्रविष्ट एवं भारित (Upload) करने एवं उसकी शुद्धता की प्रति आश्वस्त होने के बाद उसे Submit करना होगा। Submit करने के बाद पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर SMS प्राप्त होगा। यदि SMS प्राप्त नहीं हो तो माना जायेगा कि आवेदन Submit नहीं हुआ है। इस हेतु उन्हें पुनः प्रविष्टि करते हुए Submit करना होगा।

राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन Submit किये गये अनुदान प्रपत्र के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर पर पूर्व से CBSE/ICSE School के NOC के संदर्भ में प्रदत्त Login ID & Password के द्वारा Login करते हुए View बटन के माध्यम से उक्त अनुदान प्रपत्र फार्म की जाँच कर वांछित प्रविष्टि के उपरान्त उसे निदेशालय को Online Submit करेंगे। सरकार द्वारा स्थायी प्रस्वीकृत इण्टर महाविद्यालयों का ऑनलाइन Submit किये गये अनुदान प्रपत्र के आधार पर सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निदेशालय द्वारा उपलब्ध Login ID & Password से अपने स्तर से जांचोपरान्त निदेशालय

को Online Submit करेंगे। संस्था द्वारा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सभी संबंधित कंडिकाओं की प्रविष्टि करना अनिवार्य है अन्यथा फार्म Submit नहीं हो सकेगा।

आवेदन पत्र भरने की तिथि निम्नवत् निर्धारित है :-

1. राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, स्थायी प्रस्वीकृत इण्टर महाविद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों द्वारा आवेदन (Online) करने की अवधि दिनांक-15.09.2019 से 25.10.2019 तक।
2. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा अनुशंसा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को Online आवेदन उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 15.11.2019 तक।

नोट:- निर्धारित तिथि के बाद Online की प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। सभी संबंधित संस्थानों से निवेदन है कि ऑनलाईन आवेदन Final Submit करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं तथा ऑनलाईन प्रक्रिया की अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाईन आवेदन को पूर्णतः समर्पित करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन आवेदन हेतु हेल्प लाईन नं. 0651-2446363 पर संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन हेतु संस्था की पात्रता -

- I. माध्यमिक विद्यालयों के लिये :- केवल वे ही उच्च विद्यालय आवेदन दे सकते हैं, जो निम्नांकित अर्हता रखते हैं :-
 - (क) झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त हो एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की गई हो।
 - (ख) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा अनुदान प्राप्ति के बाद वाली वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित हो। संस्था द्वारा नियमित Mandatory Return संबंधित निबंधक के कार्यालय में दाखिल किया जाता हो।
 - (ग) उक्त विद्यालयों का शासी निकाय/प्रबंध समिति विधिवत् गठित हो।
 - (घ) विद्यार्थियों की संख्या नियम के आलोक में निर्धारित संख्या से कम न हो।
 - (ङ) शैक्षणिक संस्थान के छात्रों का परीक्षाफल 41 प्रतिशत से कम न हो।

- (च) संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त अनुदान की राशि का खर्च के विस्तृत विवरण जिसमें किस कर्मी को कितनी राशि का भुगतान हुआ है, के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (छ) गत वर्ष की विमुक्त राशि यथा; विनिर्दिष्ट बंधक विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ज) छात्र संख्या के आधार पर पर्याप्त वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल, प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानक के अनुरूप गैर शैक्षणिक कर्मी उपलब्ध हो। संबंधित अन्य सुविधा प्राचार्य कक्ष/कार्यालय इत्यादि की उपलब्धता हो।
- (झ) विभागीय अधिसूचना संख्या-1902 दिनांक 11.07.2008 (झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008) में निहित प्रावधान तथा न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करता हो।

II. मदरसा/संस्कृत विद्यालयों के लिये :- केवल वे ही मदरसा/संस्कृत विद्यालय आवेदन दे सकते हैं, जो निम्नांकित अर्हता रखते हैं :-

- (क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त हो।
- (ख) झारखंड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा हो।
- (ग) उक्त मदरसा/संस्कृत विद्यालय का प्रबंध समिति विधिवत् गठित हो।
- (घ) विद्यार्थियों की संख्या नियम के आलोक में निर्धारित संख्या से कम न हो।
- (ङ) शैक्षणिक संस्थान के छात्रों का परीक्षाफल 41 प्रतिशत से कम न हो।
- (च) झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के नियंत्रणाधीन एवं स्थापित मानक को पूर्ण करते हो।
- (ज) विभागीय संकल्प संख्या-2291 दिनांक 18.10.1976 तथा विभागीय संकल्प संख्या-1090 दिनांक 29.11.1980 में निहित प्रावधान तथा न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करता हो।

III. इण्टर महाविद्यालयों के लिये :-


- (क) वैसे महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं, जो राज्य सरकार की सहमति से झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं।
- (ख) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक सोसाइटी या ट्रस्ट से संचालित होने लगे। संस्था द्वारा नियमित Mandatory Return संबंधित निबंधक के कार्यालय में दाखिल किया जाता हो।

- (ग) महाविद्यालय का शासी निकाय विधिवत् गठित हो।
- (घ) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अधिनियम, उसके परिनियमों तथा राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करता हो।
- (ङ.) विद्यार्थियों की संख्या नियम में यथा विहित संख्या से कम न हो।
- (च) विद्यार्थियों के झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परीक्षा का परीक्षाफल कम से कम 41 प्रतिशत से कम न हो।
- (छ) संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त अनुदान की राशि का खर्च के विस्तृत विवरण जिसमें किस कर्मी को कितनी राशि का भुगतान हुआ है, के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ज) गत वर्ष की विमुक्त राशि यथा; विनिर्दिष्ट बंधक विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत का प्रमाण संलग्न करना होगा।
- (झ) छात्र संख्या के आधार पर पर्याप्त वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल, प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानक के अनुरूप गैर शैक्षणिक कर्मी उपलब्ध हो। संबंधित अन्य सुविधा प्राचार्य कक्ष/कार्यालय इत्यादि की उपलब्धता हो।
- (ञ) झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान तथा न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करता हो।

नोट:- ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने वाले संस्थान यह सुनिश्चित हो लें कि संचालन करने वाली संस्था/ट्रस्ट सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-21/1860 के तहत झारखण्ड राज्य में निबंधित हो तथा संस्था के द्वारा समय-समय पर निबंधन शुल्क (रिटर्न) जमा किया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में ऑनलाईन की अंतिम तिथि के पश्चात् इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन/अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त के संबंध में निबंधन विभाग, झारखण्ड रांची से प्राप्त प्रतिवेदन ही मान्य होगा।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन पत्रों में वांछित सूचना एवं अनुशंसा के साथ दिनांक **15.11.2019** तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में अपने मंतव्यों के साथ ऑनलाईन जमा करेंगे।
4. झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची इण्टर महाविद्यालयों से प्राप्त विहित प्रपत्र में आवेदन पत्रों में वांछित सूचना अपने मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में दिनांक **15.11.2019** तक ऑनलाईन जमा करेंगे।

5. अधूरे, अस्पष्ट एवं बिना सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालय से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी और इण्टर महाविद्यालयों के आवेदन पत्रों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के द्वारा किये जाने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा के आधार पर अनुदान हेतु विचार किया जायेगा अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
7. झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 की कंडिका 3(ग) के अनुपालन के संबंध में परिषद् की स्पष्ट अनुशंसा अंकित होना आवश्यक है।
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सत्यापित दस्तावेजों, साक्ष्यों के साथ आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक स्पष्ट अनुशंसा के साथ अग्रसारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित विद्यालय का निरीक्षण कर मात्र 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पंजीकृत छात्र संख्या एवं विगत तीन माह की औसत उपस्थिति के आधार पर ही छात्र संख्या सत्यापित कर निदेशालय को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।
10. सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची संबंधित इंटर महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या एवं विगत तीन माह की औसत उपस्थिति के आधार पर ही छात्र संख्या को सत्यापित कर निदेशालय को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।
11. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी अर्हता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा तथा इंटर महाविद्यालय का आवेदन किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटे।
12. आवेदन ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, रांची।